

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इन्डियन जज


नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
इस हुक्म की  
तामील में जारी  
हुए

12-06-2019

पत्रावली पेश हुई । अपीलान्ट की ओर से श्री रामबाबू मालव एडवाकेट का वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र बाबत विद्वा किये जाने अपील का दिनांक 15.5.2019 को पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है तथा अपीलान्ट के पूर्व वकील श्री अतुल वशिष्ठ द्वारा दिनांक 17.5.2019 को एक प्रार्थना पत्र वास्ते विद्वा नहीं किये जाने अपील आपत्ति पेश किया जो भी पत्रावली शामिल है । अपीलान्ट के पूर्व अभिभाषक अतुल वशिष्ठ एवं वर्तमान अभिभाषक श्री रामबाबू को सुना गया । अपीलान्ट एवं अभिभाषक श्री रामबाबू मालव द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत विद्वा किये जाने अपील में मुख्य कथन किया है कि पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईश से लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है । उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं रहा है, अपीलान्ट अब उक्त अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा विद्वा करना चाहता है, तथा अपील को एज विद्वा खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया, साथ ही अपीलान्ट की ओर से न्यायालय सिविल न्यायाधीश उत्तर कोटा में विचाराधीन वाद को विद्वा किये जाने का प्रार्थना पत्र मय आदेश दिनांक 15.5.19 प्रस्तुत किया है जो शामिल पत्रावली किया गया ।

प्रार्थना पत्र दिनांक 17.5.2019 वास्ते विद्वा नहीं किये जाने अपील के सम्बन्ध में अपीलान्ट के पूर्व वकील श्री अतुल वशिष्ठ का मुख्य कथन है कि अपीलान्ट व रेस्पोजेन्ट्स ने आपसी दुरभि संधि करते हुये उक्त प्रकरण अपील को विद्वा किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि उक्त अपील नामान्तरण को खारिज करने के लिए प्रस्तुत की गई है । उक्त अपील में सारवान तथ्य में अपीलान्ट व रेस्पोजेन्ट नं0 1 लगायत 3 खातेदार अनुसूचित जाति के है जबकि उनके कब्जे व खाते की आराजी का विक्रय सवर्ण जाति के व्यक्ति मृतक बीरमा को हुआ है और उसके पक्ष में नामा0 सं0 40 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ जो विक्रय धारा 42 आर0टी0 एक्ट के तहत बाधित है, और प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभाव शून्य है । अतः उक्त अपील को विद्वा नहीं करते हुये रेस्पोजेन्ट्स मृतक बीरमा के पक्ष में हुये नामा0 सं0 40 को निरस्त करते हुये तहसीलदार लाडपुरा को धारा 175 आर0टी0एक्ट के तहत कार्यवाही किये जाने का निर्देश प्रदान किये जायें ।


प्रार्थना पत्र अपील विद्वा किये जाने का दिनांक 15.5.19 एवं विद्वा नहीं किये जाने के प्रार्थना पत्र दिनांक 17.5.2019 के सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया । अपीलान्ट व रेस्पोजेन्ट के मध्य राजीनामा हो जाने से अपीलान्ट उक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहते है तथा अपील को एज विद्वा करना चाहते है । प्रस्तुत अपील में आगे कार्यवाही नहीं चाडना, अपील विद्वा करना अपीलान्ट का अधिकार है, यदि उभयपक्ष अपील में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है तथा विद्वा करना चाहते है तो अपील विद्वा किये



जिला कलेक्टर

जाने योग्य है किन्तु हम इस बिन्दु को भी जन अन्दाज नहीं कर सकते कि उक्त नामा० के सम्बन्ध में धारा 42 का उल्लंघन हुआ हो, क्योंकि अपीलार्थी ने भी स्वयं ने अपील निम्न दौ आधारों पर प्रस्तुत की है प्रथम- किशनी पुत्री धन्ना के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि वह 1/3 की हिस्सेदार थी, दुसरा-भूमि लश्करी (मेघवंशी) की राजस्व रेकार्ड में है जिसका विक्रय गोपाल, जयकिशन, जमनालाल, लाडबाई के द्वारारेस्पोडेन्ट क्रम-1 को किया गया है जो कि सवर्ण जाति का व्यक्ति है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार लाडपुरा को जांच कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु हेतु लिखा जाना उचित पाता हूँ ।

अतः अपील एज विद्वाँ खारिज की जाती है । तहसीलदार लाडपुरा को लिखा जावे कि उक्त नामा० सं० 40 से पूर्वोत्तर से क्रमागत नामान्तकरणों की पुनः जांच तीन माह में करें यदि नामान्तकरण तस्दीक के समय धारा 42 का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा जांच आने तक भूमि की खरीद फरोक्त नहीं करने का नोट अंकित करें । जांच रिपोर्ट व की गई कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करावें । पत्रावली तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट आने पर पेश हो ।

  
(मुक्तानन्द अग्रवाल)  
जिला कलेक्टर  
कोटा